

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 8460 / 713

दिनांक :- 12.7.2022

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री कैलाश चन्द रैगर [लिंक न. 8460] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, झालावाड़ को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 02/01/2017 से 12/06/2017 तक 162 दिवस (स्वयं की अस्वस्थता के कारण चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

दिनांक 13/06/2017 से 14/07/2017 तक 32 दिवस (स्वयं की अस्वस्थता के कारण)

कुल 194 दिवस

उक्त कुल 194 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती/सुश्री कैलाश चन्द रैगर की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 8460 / 713

दिनांक :- 12.7.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी झालावाड़।
2. श्री/श्रीमती / सुश्री कैलाश चन्द रैगर [लिंक न. 8460] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, झालावाड़।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)